

# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०- 01, सैकटर- नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नौएडा, 201310

जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: मु0का0अ0 / का0आ0 / 2021 / 2140

दिनांक फरवरी, 2021  
02.03.21

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में जहाँ एक ओर औद्योगिक निवेश होने से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय किसानों के बच्चों में स्कील डेवलपमेंट की भारी कमी के कारण वह रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। इस प्रकार ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में रोजगार हेतु वांछित स्कील के mismatch को दूर किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में एक अलग से विभाग आरम्भ किये जाने की आवश्यकता है। महाप्रबन्धक नियोजन एवं महाप्रबन्धक कार्मिक एवं प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि वह इस हेतु एक सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राधिकरण के आगामी बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त इसकी स्वीकृति शासन स्तर से भी प्राप्त कर ली जाये। जब तक प्राधिकरण बोर्ड व शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तब तक तत्काल प्रभाव से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में नवीन विभाग "कौशल विकास विभाग" का सृजन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार रस्टॉफ की तैनाती की जाती है:-

1. विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	-	विभागाध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार)
2. विशेष कार्याधिकारी (एस०पी०एस०)	-	ओ०एस०डी० (अतिरिक्त प्रभार)
3. श्रीमती छाया सिंह कटियार	-	प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार)
4. श्री शशि कुमार	-	वैयक्तिक सहायक (संस्थागत विभाग से कार्यमुक्त करते हुये नवीन तैनाती)

उपरोक्त नवीन सृजित कौशल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

- भारत सरकार, राज्य सरकार एवं एन०एस०डी०सी० के साथ मिलकर विश्व स्तरीय कौशल विकास के कार्यों की स्थापना करना।
- ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में कौशल विकास योजना को व्यापक रूप से बढ़ावा दिये जाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार को समय-समय पर वांछित प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- कौशल विकास हेतु apprentice का डाटाबेस तैयार करते हुये आवश्यकतानुसार उनकी तैनाती करना।
- ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर उनमें अध्ययनरत ऐसे छात्रों का डाटाबेस तैयार करना तथा इस हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में एक स्कील एडवाईजरी समिति का गठन कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में इस समिति की बैठक आयोजित कराना।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(नरेन्द्र भूषण)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

### प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी० / जी०) को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- विशेष कार्याधिकारी (एस०के०) को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- विशेष कार्याधिकारी (एस०पी०एस०) को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी कार्मिक को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्रीमती छाया सिंह कटियार, प्रबन्धक को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्री शशि कुमार वैयक्तिक सहायक इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह संस्थागत विभाग से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र भूषण)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी